

Date: 02.08.2025

Department of Corporate Services
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

The Manager, Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, C - 1,
Block G, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

BSE Scrip Code-523329

NSE Symbol- ELDEHSG

Sub: Newspaper Advertisement for transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund

Ref: Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisements published in English (All Editions) and in Hindi (Delhi NCR Edition) in "Business Standard" on August 2, 2025 for the attention of equity shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended.

The said advertisement will also be made available at the website of the Company at www.eldecogroup.com

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For Eldeco Housing and Industries Limited

CHANDNI
VIJ

Digitally signed by CHANDNI VIJ
DN: cn=CHANDNI VIJ, o=Eldeco Housing and Industries Limited, email=chandni.vij@eldecohousing.co.in, c=IN
Reason: I am the signatory for the document.
Date: 2025.08.02 10:30:06 +05'30

Chandni Vij
Company Secretary
Mem. No. : A46897

Enclosed: As above

Eldeco Housing & Industries Ltd.

NOTICE

FORM NO. NCLT-5 (See rule 34 and 37)
[GENERAL HEADING FOR PROCEEDINGS]
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT GUWAHATI, IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013 Company Petition No. 32 of 2022

Narendra Surana
Applicant
-versus-
M/s. R. S. Enterprises Pvt. Ltd and Ors.
Respondents

[Under : Section 272 (c) of the Companies Act, 2013]
Vide Order dated 18.07.2025, let all parties concerned attend/appear before the Honble Tribunal, on 19th day of August, 2025, at 10:30 a.m. on the hearing of an application by the applicant above-named, for an order that:

- M/s. R.S. Enterprise Pvt. Ltd. be wound up by the Tribunal within the meaning of Section 272(c) of the Companies Act, 2013 and
- Such other order may be made in the premises as shall be just.

Dated this 30th day of July, 2025

Dy. Registrar.
This Notice was taken out by Shri. Tliak Ch. Das, Authorised Representative for the applicant and will be supported by the affidavit of service of notice through paper publication.

To,
3(a). Smt. Bina Devi Surana, wife of Late Rupchand Surana, resident of Flat No. 703, Zoo Road, Silver Oak Apartment/House No.12, Manik Nagar, Guwahati 781003, Dist.-Kamrup(M), Assam.

3(b). Smt. Ritlu Jain (Dungarwan), daughter of Late Rupchand Surana and wife of Sri Manoj Jain (Dungarwan), resident of E-6 Mansarovar, Garden, New Delhi- 110015

3(c). Sri Pankaj Surana, son of Late Rupchand Surana, resident of Maruti Height Apartment, Flat No. 4A, A.T Road, Adabari, Guwahati 781014, Dist.-Kamrup(M), Assam.

3(d). Sri Punit Surana, son of Late Rupchand Surana, resident of Suryavatika Apartment, Flat No.: 208 (A/2 Block), A.K. Dev Road, Dhirenpara, Dist.-Kamrup(M), Guwahati - 781025, Assam.

3(e). Sri Neeraj Surana, son of Late Rupchand Surana, resident of Flat No. 703, Zoo Road, Silver Oak Apartment, House No. 12, Manik Nagar, Guwahati - 781003, Dist.-Kamrup(M), Assam.

...Respondents

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि, सामान्य कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) होने इंडियाबुक्स हार्डसिंग फाइनर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी (हले के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिम्बोर्गिइंडस्ट्रेशंस एंड टेक्नोलुज्यान ऑफ फायनंशियल असेसर्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिम्बोर्गिटी इंटेरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिम्बोर्गिटी इंटेरेस्ट (एम्प्लोसमेंट) रूप, 2002 के साथ पहले हुए प्राप अधिकारी का उपयोग करके कर्जदार विश्वधाम मंडल और रिकू मंडल को 15.05.2025 को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HMLBHD00557710 की राशि रु. 31.09,796.08 (रुपये इकतीस लाख नौ हजार सात सौ छियानवे और आठ पैसे मात्र) और 14.05.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहान करते हुए अधिनियमान सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 को उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के विरोध में कर्जदारों और सामान्य: जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 31,09,796.08 (रुपये इकतीस लाख नौ हजार सात सौ छियानवे और आठ पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सामान्य कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुक्स हार्डसिंग फाइनर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के आधीन होगा। उपारक्तओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
केअरीन नं.9 का भाग, ऊपरी भूतल पर, टैरेस और छत के अधिकार बिना, (पीछे बाई ह्राय की ओर का भाग)/कार पार्किंग के साथ, सामान्य सुविधाओं के सामान्य अधिकार के साथ और उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के अनुपातिक अधिकारों के साथ, स्टिल पार्किंग के साथ बिस्लीय की कुल ऊँचाई लगभग 49 फीट, हर मंजिल की ऊँचाई लगभग 10 फीट और स्टिल पार्किंग लगभग 9 फीट और संपत्ति 9 से 19 फीट ऊँचाई के बीच निर्मित, भूमि क्षेत्र 80 स्वर्ग्व. यार्ड, (66.88 स्वर्ग. मीटर्स), खसरा नं. 449/3, और 450/11 में से संपत्ति, स्ट्राइक अथाईमेंट में, मुंडा मेट्रो पार्किंग के पीछे, गाँव मुंडका के विस्तारित लाल डोरा में स्थित, विस्तारिता 110041. इससे फिर:	
पूर्व : फ्लैट नं. 8/ अन्य की संपत्ति	पश्चिम : अन्य की संपत्ति
उत्तर : अन्य की संपत्ति	दक्षिण : फ्लैट नं. 10/ सड़क 16 फीट चौड़ी
दिनांक : 30.07.2025	सही/-
स्वान : दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी
	सामान्य कैपिटल लिमिटेड
	(पहले इंडियाबुक्स हार्डसिंग फाइनर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

ADITYA BIRLA CAPITAL	PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
पंजीकृत कार्यालय: इंदिरा कंफाउंट वेस्टवक, गुवाग 362366, कॉर्पोरेट कार्यालय: आर-टेक पार्क, 10वीं मंजिल, नितौर कॉन्फ्लेक्स, सेक्टर एम्पलवेमेंट के पास, मोंगबल पुरे - मुंबई - 4000063	आधिकारिक वेबसाइट: www.adelcohousing.co.in
सेवा में, रक्षा सिंघल 57ए मॉडल टाउन, मालवीय नगर, उप महानगर मालवीय नगर जयपुर, जयपुर, राजस्थान, (भारत) - 302017 मोंगबल पुरे: 8130111044 ईमेल: rajat.singha18920@gmail.com कृपया ध्यान दें, रक्षा सिंघल निवेश: शेखापट्टी मोतिपति के लिए कार्याय बजट ओ नोटिस संख्या: खत खाता संख्या LNN-J08223-243167682 हियर कॉन्फ्लेक्स	तारीख: 02-08-2025
1. यह सूचना आपसे, ऊपर वर्णित सम्पत्तियों को, आपके द्वारा अधिचय बिट्ठाना फाइनर्स लिमिटेड ("एम्प्लोएफर्न") (जिनसे अब अधिचय बिट्ठाना कैपिटल लिमिटेड (" एम्प्लीबोर्न") के नाम से जाना जाता है, से लिए गए व्यक्तिकृत खत के संदर्भ में जारी की जाती है, जिसका प्रकाश खाता संख्या LNN-J08223-243167682 है।	
प्रभुत्व: 2. आप, सम्बन्धीता जसवंत सिंह, चिनका पाा ऊपर दिया गया है, ने हमारे चैनल लॉडिंग बार्ड एप के माध्यम से एक व्यक्तिकृत खत के लिए आवेदन किया था और रतदुत्तर, आपसे रु. 9,88,000/- की राशि का व्यक्तिकृत खत 16-04-2024 को 25.03% ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया था, जिसका प्रमाण 05-04-2024 से शुरू होकर 05-03-2027 को समाप्त होने वाली 36 किश्तों में, आपके साथ 16-04-2024 का निष्पादित मानक नियमों और नती के तहत अधिक विशिष्ट रूप से वर्णन नियमों और नती पर किया जाना था।	
निकायकरण: 3. यह कि 21 नवंबर, 2024 को श्री रजत सिंघल (पॉइटर) एक शिक्षागत प्रग्रा हुआ, जिसमें कहा गया था कि एम्प्लोएफर्न (जिसे अब एम्प्लीबोर्न के नाम से जाना जाता है) से खत खाता संख्या LNN-J08223-243167682 के अंतर्गत रु. 9,88,000/- का एक व्यक्तिकृत खत लिया गया था, जो उनके निश्चित निवेदों में है। उन्होंने आपो कहा उन्होंने न तो ऐसे किसी खत के लिए आवेदन किया है और न ही उक्त खत प्राप्त उठाया है।	
जब और निष्कर्ष: 4. उपरोक्त निष्कर्षण प्रग्रा होने पर, हमने मामले में एक विस्तृत आंतरिक जांचिध मूल्यंकन जाँच की। इसके अनुसार में यह पाया गया कि उर्वर्णक खत प्राप्त करने समय आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्र काई सख्त APRGS2153K एक जाली दस्तावेज है। उक्त पत्र काई पर लगी चपट्टी फूटी है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित करने में मौजूद लेखनी तस्वीर से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, आपके द्वारा प्रस्तुत सख्त विवरण, जन्म तिथि और अधिनियम का पाा भी उक्त पत्र काई पत्र काई जारी करने वाले प्राधिकारी के पास उपस्थित पत्र काई से संबंधित विवरणों में मेल नहीं खाता है।	
5. उपरोक्त पत्र यह स्पष्ट है कि आप, कर्जदार ने एम्प्लोएफर्न से खत प्राप्त करने समय दुर्भाग्यपूर्ण रूपों के साथ एक हेरफेर किया हुआ था, जोशी और न्यायिक पत्र काई प्रस्तुत किया। इस तरह की गतिविधियाँ जालसाजी और जलजनों को गहरा खतने से प्रस्तुत करने के बजाय हैं और न केवल आपके द्वारा निष्पादित मानक नियमों और नती में उल्लंघनित करणें और नती का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में लागू कानूनी और नियमों का भी संचालित रूप से उल्लंघन करती हैं।	
6. एक कर्जदार के रूप में, आपको कानूनी और निम्नमक मानकों का पालन करना आवश्यक है। श्रुते रस्तावेजों की उपरुत कानून हय मानकों को कमजोर करते हैं और लागू कानून/नियामक विनियमों के तहत नवीर परिणाम हो सकते हैं।	
7. हमारी नीतिमें और अरबीआई द्वारा री-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एम्प्लीएफर्न) (हाइसिंग फाइनर्स कंपनीयों सहित) में शेखापट्टी जांचिध प्रथम पर दिनांक 15.07.2024 के मास्टर निदेशों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त RBI/DO5/2024-25120 DOS. CO. FMG. SEC. NO: 763/03.0041/2024-25 के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करें अथवा आप इस नोटिस को प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के भीतर, अपने उत्र को उचित ठहराने हेतु साहचय रस्तावेजों के साथ, शारीरिक रूप से उत्प्रेक्षता होकर, ऊपर उल्लिखित विवरणियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।	
8. निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब न देने पर, हम यह मान लेगे कि आपके पत्र देने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और हम आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समर्थ औरप्राधिकार निष्कात दलें कला भी शामिल हैं, परंतु यह उक्त तक ही सीमित नहीं है।	
9. हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी परिणाम से बचने के लिए इस मामले पर अत्यंत गंभीरता और तत्परता से विचार करें।	

भवदीय,
आदित्य बिट्ठाना कैपिटल लिमिटेड
अधिकृत रस्तावेजकर्ता

ELDECO
एल्टिको हाउसिंग एंड इंस्ट्रुटीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ऑफ नं. S-16, द्वितीय तल, विजिलैंड सेंटर (नंदी परिपथ के सामने), गोंगाती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - 226010
CIN: L45202HR9895PLC3132536
वेबसाइट: www.eldecohousing.co.in ईमेल: adelco@eldecousing.co.in फोन: 0522-4039999 फैक्स: 0522-4039900

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए) इन्वेस्टर एयुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में
यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है, जिसे इन्वेस्टर एयुकेशन एंड प्रोटेक्शन फण्ड (लेखाकता, लेखापट्टी, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 ("अडॉप्टीफ क नियम") के साथ पढ़ा गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। उक्त धारा और आडॉप्टीफ नियमों में, अन्य मामलों के साथ-साथ, जिन शेयरधारकों द्वारा लानेवाले धन राशियों या उक्तों अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है उन सभी शेयरों को इन्वेस्टर एयुकेशन एंड प्रोटेक्शन फण्ड ("आडॉप्टीफ") प्राधिकरण के डीमूट अकाउंट में हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, संशोधित शेयरधारक नियमों के अनुसार, सभी भुगतान न कि किए गए दावों का किंग या लाभांशों का पूरा विकल्प नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट और भाट सहायक के कॉपीराइट मालिकों के मंत्रालय पर उपलब्ध किया जाता है।
कंपनी में उन शेयरधारकों को, जिनके शेयर उक्त आडॉप्टीफ नियमों के तहत आडॉप्टीफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, वित्तीय वर्ष 2017-2018 से देव दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए उनके वर्तमानत उपलब्ध पत्र पर व्यक्तित्व रूप से सूचना भेजी है। 2017-2018 का वह लाभांश जिसका दावा नहीं किया गया/अपवाद है, वह भी आडॉप्टीफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जायेगा ऐसे शेयरधारकों का विकरण कंपनी की वेबसाइट www.eldecohousing.co.in पर उपलब्ध किया जायेगा।
यदि कंपनी के लिए उक्त आडॉप्टीफ नियमों के अनुसार, आडॉप्टीफ प्राधिकरण के डीमूट खाते में हस्तांतरित दावा न किंगे गए लाभांश(ओं) और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के इक्विट कर्जों दावा नहीं किया या क्रेकना। हालांकि, संबंधित शेयरधारक आडॉप्टीफ प्राधिकरण से अपील कर सकते हैं और दावा न किंगे गए लाभांश(ओं) का दावा आडॉप्टीफ की वेबसाइट www.elfp.co.in पर उपलब्ध निष्पादित प्राप्ति आडॉप्टीफ-5 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करके और उत्तर दिए गए हस्तांतरित प्रति, फॉर्म आडॉप्टीफ-5 में उल्लिखित आवश्यक रस्तावेजों के साथ कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजकर कर सकते हैं।
शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.eldecohousing.co.in पर उपलब्ध किया गए संबंधित शेयरधारक(कों) के दावा न किंगे गए लाभांश और शेयरों का विकरण, आडॉप्टीफ नियमों के अनुसार, आडॉप्टीफ के डीमूट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी/कॉर्पोरेट एचरान द्वारा यह सूचना प्रमाणपत्र(ओं) को जारी करने के संबंध में परंपरा सूचना जमा करता है। आडॉप्टीफ प्राधिकरण को शेयरों के ऐसे हस्तांतरण के बाद, अधिवच में पारत होने तक सभी लाभा, जिनमें अधिवच के लाभांश(ओं) भी शामिल हैं, आडॉप्टीफ प्राधिकरण में जमा किए जाऐंगे।
सभी दावों में किसी भी स्पष्टीकरण/प्रश्न के मामले में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आदरणीय से 11-153/ए, प्रमन तल, ओखला ऑफिसियल क्षेत्र, फेज-नं. 11, नई दिल्ली-110020, ईमेल- vinayn@askylinetoria.com या admin@askylinetoria.com फोन- 011-40450193-97 पर या कंपनी से एल्टिको कॉर्पोरेट वेबट- द्वितीय तल, विजिलैंड सेंटर (नंदी परिपथ के सामने), गोंगाती नगर, लखनऊ-226010, डीमेल- chandni@eldecousing.co.in फोन- 0522-4039999 पर संपर्क कर सकते हैं।
कृते एल्टिको हाउसिंग एंड इंस्ट्रुटीज लिमिटेड हस्ता/- चौकीदार अधिकारी नं. 10 सी जयिव
दिनांक: 01.08.2025 नाम: लखनऊ

ANAND RATHI
आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, एम्प्लोयर्स जॉन, ए. विंग, 8वीं तल, केएनई एम्प्लोयर्स हाउस, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063 भारत मोंगबल : +91 8879607027 वेबसाइट : www.rathi.com
दिनांक : 31 जुलाई 2025
संर्पत संख्या : APPL00003578
1) गैरसंत विस्तृत बर्लॉड स्कूल एड के डेयर एम्पल एम्पलोजे 3/220, मू. तल, गली नं. 9, महावीर एम्प्लेव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली : 110045
2) सुशी गौतम कुमर, सर्म, एम्पल एम्पलोजे 3/220, मू. तल, गली नं. 9, महावीर एम्प्लेव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली : 110045
विषय : अनुप्राप्ति संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटाने की जानकारी / सूचना।
श्रीमान,
हम, आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190MH1982PLC140380), एक अ-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विशिष्टत पंजीकृत है (जिसे यहां "एआरजीएफएल" अथवा "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम्पलसे जॉन ए विंग, 10वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र में स्थित है और आगे किसी भी पत्राचार के लिए इसका पता एम्पलसे जॉन ए विंग, 8वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र है, एतद्वारा निम्नलिखित जानकारी देते हैं -
1. उपारक्त/सह-उधारकर्ता(ओं) ने "एआरजीएफएल" के पक्ष में गिरी सौदा गई संपत्ति पर प्रतिभूति हितों का सूजन करके एआरजीएफएल से वित्त सुविधा (इसके बाद सुविधा) प्राप्त करने का अनुरोध किया था। उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार में तथा दिए गए आधारसम पत्रों काई और उपारक्तओं तथा सह-उधारकर्ताओं के साथ, एआरजीएफएल ने उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 19/01/2023 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से वित्त सुविधा को स्वीकृति दे दी। उक्त स्वीकृति पत्र के अनुसार, एआरजीएफएल तथा उधारकर्ता के मध्य स्वामित्व विरोधों (जिसे आगे "सम्बन्धित" कहा जाएगा) के जमा द्वारा एक कंक निष्पादित किया गया था और एआरजीएफएल के पक्ष में निष्पादित विनिमन प्रतिभूत प्रलेखों के माध्यम से बंधक संपत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है।
2. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं ने बाद में ऋण के प्रतिभूतगान में पूरु की और नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान नहीं किया और इसीलिए उनके ऋण खाता को अ-निष्पानकता परिसंपत्तियां (एम्पली) घोषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एआरजीएफएल ने सारक्षी अधिनियम 2002 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत कार्रवाईयों आरंभ करने कानूनी रूप से कार्य किया।
3. हमने भी प्रणय जोशी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अधिकारी - 01, नई दिल्ली जिला, परिणामा हाउस कोर्टस : नई दिल्ली के दिनांक 26/06/2025 के आदेशानुसार, सारक्षी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 23/07/2025 को संपत्ति का नौतिक कब्जा ले लिया है।
4. अनुप्राप्ति संपत्ति का कब्जा लेते समय, वस्तुपूरी की सूरु के अनुसार आपकी वल संपत्तियों अभी भी अनुप्राप्ति में हैं उल्लिखितानुसार बंधक संपत्ति पर पड़ी थी। इसलिए, हम एतद्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटा दें। ऐसा करने में विफल होने पर एआरजीएफएल बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अनुपूरी - I
संपत्ति का पता - संपत्ति सं. आरवेड डी-3/220 मू. तल गली सं. 9 महावीर एम्प्लेव, अवासीय महावीर एम्प्लेव, नई दिल्ली 110045 दक्षिण पश्चिम दिल्ली - 110045, नई दिल्ली में स्थित है। संपत्ति की चार सीमाएं - पूर्व : डीडीए फ्लैट्स, पश्चिम : सड़क, उत्तर : प्लॉट नं. डी-3/221, दक्षिण : अन्य संपत्ति।
आपको धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

ANAND RATHI
आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, एम्प्लोयर्स जॉन, ए. विंग, 8वीं तल, केएनई एम्प्लोयर्स हाउस, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063 भारत मोंगबल : +91 8879607027 वेबसाइट : www.rathi.com
दिनांक : 31 जुलाई 2025
संर्पत संख्या : APPL00005234 तथा APPL00005236
1) गैरसंत डेयर बह 7/146, ओपी जॉइंट, नई दिल्ली : 110058
2) श्री इलाहा अख्तर,
3) श्रीमती अमना,
प-1, ए/60, गली नंबर 3, बाणपथ प्लेस फाई-1, उत्तर नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली 110059
विषय : अनुप्राप्ति संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटाने की जानकारी / सूचना।
श्रीमान,
हम, आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190MH1982PLC140380), एक अ-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विशिष्टत पंजीकृत है (जिसे यहां "एआरजीएफएल" अथवा "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम्पलसे जॉन ए विंग, 10वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र में स्थित है और आगे किसी भी पत्राचार के लिए इसका पता एम्पलसे जॉन ए विंग, 8वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र है, एतद्वारा निम्नलिखित जानकारी देते हैं -
1. उपारक्त/सह-उधारकर्ता(ओं) ने "एआरजीएफएल" के पक्ष में गिरी सौदा गई संपत्ति पर प्रतिभूति हितों का सूजन करके एआरजीएफएल से वित्त सुविधा (इसके बाद सुविधा) प्राप्त करने का अनुरोध किया था। उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार में तथा दिए गए आधारसम पत्रों काई और उपारक्तओं तथा सह-उधारकर्ताओं के साथ, एआरजीएफएल ने उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 21/03/2023 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से वित्त सुविधा को स्वीकृति दे दी। उक्त स्वीकृति पत्र के अनुसार, एआरजीएफएल तथा उधारकर्ता के मध्य स्वामित्व विरोधों (जिसे आगे "सम्बन्धित" कहा जाएगा) के जमा द्वारा एक कंक निष्पादित किया गया था और एआरजीएफएल के पक्ष में निष्पादित विनिमन प्रतिभूत प्रलेखों के माध्यम से बंधक संपत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है।
2. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं ने बाद में ऋण के प्रतिभूतगान में पूरु की और नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान नहीं किया और इसीलिए उनके ऋण खाता को अ-निष्पानकता परिसंपत्तियां (एम्पली) घोषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एआरजीएफएल ने सारक्षी अधिनियम 2002 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत कार्रवाईयों आरंभ करने कानूनी रूप से कार्य किया।
3. हमने सुभी बुरखान आजाद, सीओएच, पश्चिम जिला, तीस हदारी कोर्टस : नई दिल्ली के दिनांक 11/06/2025 के आदेशानुसार, सारक्षी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 19/07/2025 को संपत्ति का नौतिक कब्जा ले लिया है।
4. अनुप्राप्ति संपत्ति का कब्जा लेते समय, वस्तुपूरी की सूरु के अनुसार आपकी वल संपत्तियों अभी भी अनुप्राप्ति में हैं उल्लिखितानुसार बंधक संपत्ति पर पड़ी थी। इसलिए, हम एतद्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटा दें। ऐसा करने में विफल होने पर एआरजीएफएल बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

ANAND RATHI
आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, एम्प्लोयर्स जॉन, ए. विंग, 8वीं तल, केएनई एम्प्लोयर्स हाउस, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063 भारत मोंगबल : +91 8879607027 वेबसाइट : www.rathi.com
दिनांक : 31 जुलाई 2025
संर्पत संख्या : APPL00005234 तथा APPL00005236
1) गैरसंत डेयर बह 7/146, ओपी जॉइंट, नई दिल्ली : 110058
2) श्री इलाहा अख्तर,
3) श्रीमती अमना,
प-1, ए/60, गली नंबर 3, बाणपथ प्लेस फाई-1, उत्तर नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली 110059
विषय : अनुप्राप्ति संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटाने की जानकारी / सूचना।
श्रीमान,
हम, आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड, (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190MH1982PLC140380), एक अ-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विशिष्टत पंजीकृत है (जिसे यहां "एआरजीएफएल" अथवा "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम्पलसे जॉन ए विंग, 10वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र में स्थित है और आगे किसी भी पत्राचार के लिए इसका पता एम्पलसे जॉन ए विंग, 8वीं तल, वेस्टर्न एम्पलसे हाईवे, गोंगबाल (पूर), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र है, एतद्वारा निम्नलिखित जानकारी देते हैं -
1. उपारक्त/सह-उधारकर्ता(ओं) ने "एआरजीएफएल" के पक्ष में गिरी सौदा गई संपत्ति पर प्रतिभूति हितों का सूजन करके एआरजीएफएल से वित्त सुविधा (इसके बाद सुविधा) प्राप्त करने का अनुरोध किया था। उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार में तथा दिए गए आधारसम पत्रों काई और उपारक्तओं तथा सह-उधारकर्ताओं के साथ, एआरजीएफएल ने उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 21/03/2023 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से वित्त सुविधा को स्वीकृति दे दी। उक्त स्वीकृति पत्र के अनुसार, एआरजीएफएल तथा उधारकर्ता के मध्य स्वामित्व विरोधों (जिसे आगे "सम्बन्धित" कहा जाएगा) के जमा द्वारा एक कंक निष्पादित किया गया था और एआरजीएफएल के पक्ष में निष्पादित विनिमन प्रतिभूत प्रलेखों के माध्यम से बंधक संपत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है।
2. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं ने बाद में ऋण के प्रतिभूतगान में पूरु की और नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान नहीं किया और इसीलिए उनके ऋण खाता को अ-निष्पानकता परिसंपत्तियां (एम्पली) घोषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एआरजीएफएल ने सारक्षी अधिनियम 2002 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत कार्रवाईयों आरंभ करने कानूनी रूप से कार्य किया।
3. हमने सुभी बुरखान आजाद, सीओएच, पश्चिम जिला, तीस हदारी कोर्टस : नई दिल्ली के दिनांक 11/06/2025 के आदेशानुसार, सारक्षी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 19/07/2025 को संपत्ति का नौतिक कब्जा ले लिया है।
4. अनुप्राप्ति संपत्ति का कब्जा लेते समय, वस्तुपूरी की सूरु के अनुसार आपकी वल संपत्तियों अभी भी अनुप्राप्ति में हैं उल्लिखितानुसार बंधक संपत्ति पर पड़ी थी। इसलिए, हम एतद्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों को हटा दें। ऐसा करने में विफल होने पर एआरजीएफएल बंधक संपत्ति में पड़ी बह परिसंपत्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

संपत्ति का पता -	निरिक्षी - I
निर्मि मू. तल, एराधिकारों के बिना, संपत्ति संख्या एस-2/217 में, 100 वर्ग गज बेसफर्क में, खसरा संख्या 21 में से, ग्राम नौती जालिव, महावीर क्षेत्र के नाम से स्थित आवादी, ब्लॉक-बी, नई दिल्ली में स्थित है। संपत्ति की चार सीमाएं - पूर्व : सड़क 10 फीट चौड़ी, पश्चिम : सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर : प्लॉट नं. 47 का भाग, दक्षिण : प्लॉट नं. 48	
आपको धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आनंद राठी ग्लोबल फाइनर्स लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी	

सीएसबी बैंक
पंजीकृत कार्यालय त्रिशुर में
श्रेणीय कार्यालय: प्रथम एवं द्वितीय तल, सतान धर्म विश्व विश्वविद्यालय ट्रस्ट, 20, राइट स्टेट नगर, नई दिल्ली-110008
मांग सूचना
विषय आसितों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13